

OFFICE OF THE PRINCIPAL
Autonomous State Medical College, Sultanpur (U.P.)
Required Document for NEET (M.B.B.S) 2025-26
CHECK LIST

Name of Student.....Roll no.....

Cat.....AIR/State.....

Sr.No.	Name of Documents	Yes/No
1.	Neet Admit Card 2025-26	
2.	Neet Rank Letter 2025-26	
3.	Allotment letter by MCC	
4.	10 th Marksheet and Passing Certificate	
5.	12 th Marksheet and Passing Certificate	
6.	Transfer Certificate	
7.	Character Certificate	
8.	Gap Affidavit (if Applicable) (on Rs.10/-Stamp)	
9.	Migration Certificate	
10.	Caste Certificate	
11.	Domicile Certificate	
12.	Medical Certificate	
13.	OBC*/SC/ST/EWS Certificate (*For OBC As per Gazette notification of StateGovernment)	
14.	Rural service Bond (on Rs.100/-Stamp)	
15.	Anti-Ragging affidavit- student (on Rs.10/- Stamp)	
16.	Anti-Ragging affidavit- Guardian (on Rs.10/-Stamp)	
17.	Document authentication affidavit Declaration Form (on Rs.10/- Stamp)	
18.	8 Photograph (Same as Affixed on applicationform)	
19.	Identity Card (Aadhar Card/PAN Card/Driving License/Passport/Voter ID)	
20.	Online Registration Slip	

****All Documents should be in three set with all the Original documents.**

Remark.....

Student thumb Impression (M-LTI, F-RTI)

Sign (ALL Member)

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ0प्र0 228001

रजि0 क्रमांक:—

स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री.....

एन0ई0ई0टी0—2025—26 अनुक्रमांक....., स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर में एम0बी0बी0एस0 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्वास्थ्य परीक्षा के लिये प्रस्तुत हुआ हूँ।

छात्र/छात्रा का मो0 नं0..... पिता का मो0नं0.....

नेत्र की जाँच

बिना चश्मे के

चश्मे के साथ

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

दाहिनी आँख

.....

.....

बाँयी आँख

.....

.....

विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी विभाग के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष सर्जरी/गायना0 विभाग के हस्ताक्षर

.....

.....

.....

.....

विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग के हस्ताक्षर

.....

.....

.....

.....

विभागाध्यक्ष ई0एन0टी0 विभाग के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष एस0पी0एम0 विभाग के हस्ताक्षर

.....

हिपेटाइटिस बी प्रथम/द्वितीय/तृतीय

.....

.....

.....

टिटनस.....

छात्र/छात्रा के दो शारीरिक चिन्ह निम्न प्रकार है।

1—.....

अंगूठा निशानी

2—.....

(बाँया/दाँया)

फोटो

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

दिनांक:

उपरोक्त छात्र/छात्रा की स्वास्थ्य परीक्षा कर ली गई है। इन्हें किसी प्रकार की प्राकृतिक, शारीरिक, मानसिक दुर्बलता आदि रोग नहीं है। हम छात्र/छात्रा को प्रवेश हेतु स्वस्थ एवं उपयुक्त समझते/नहीं समझते हैं।

प्रवेश दे दिया जाये/ न दिया जाये।

अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुल्तानपुर

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुल्तानपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE
SULTANPUR

MEDICAL FITNESS CERTIFICATE FOR ADMISSION IN MBBS 2025-26

Roll. No.....All India Rank.....

State Rank.....

We here by certify that we have examined Shri/ Km.....

S/o, D/o..... category.....a candidate for admission to Autonomous State Medical College, Sultanpur and could not discover that He/ She has any disease, constitutional weakness or infirmity, which should disqualify him/her from admission as medical student.

His/her age according to his/her statement isyear.

Personal mark of identification.....

Thumb impression

M-LTI, F-RTI

Paste Photo of
NEET-UG
2025-26
Exam.

(Signature of Candidate)

Member of Medicine Dept. Name & Signature	Member of Surgery Dept. Name & Signature	Member of Ophthalmology Dept. Name & Signature
Member of ENT Dept. Name & Signature	Member of Obs & Gynae Dept. Name & Signature	

**Chairman Medical Board
ASMC, Sultanpur**

**Nodal Officer
UG Admission
ASMC, Sultanpur**

**Officer Incharge
Student Section
ASMC, Sultanpur**

**Principal
ASMC, Sultanpur**

Medicine	Chest X-Ray -	Signature
Surgery		Signature
ENT		Signature
Ophthalmology		Signature
Obs & Gynae		Signature

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ०प्र० 228001

नीट यू०जी०- 2025-26 से चयनित, अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व फोटो एवं अभिलेखों की जाँच हेतु गठित समिति की आख्या।

रजि० क्रमांक-.....

1- अभ्यर्थी/छात्र का पूरा नाम :-.....

2- पिता का नाम :-

3- श्रेणी (वर्ग) :-

4- नीट यू०पी० रोल नं० एवं रैंक :-.....

5- पूरा पता :-.....

6- छात्र के हस्ताक्षर :-.....

7. Give fingerprint impression of your right index finger in the given boxes without re-inking your finger.

केवल एक बार स्टैम्प इंक उंगली पर लगायें और पहले खाने पर निशान लगायें, दुबारा स्टैम्प स्याही उंगली पर लगाये बिना उसी तरह दूसरे एवं तीसरे खाने में भी निशान दें।		First Impression
		Second Impression (दुबारा स्टैम्प स्याही उंगली पर लगाये बिना)
		Third Impression (दुबारा स्टैम्प स्याही उंगली पर लगाये बिना)

8. Write the following sentence in your usual handwriting.

The quick brown fox jumped over the lazy dog

1- प्रमाण पत्रों की जाँच की आख्या :-.....

2- फोटो की जाँच की आख्या :-.....

3-समिति की आख्या:-

डा० सलिल कुमार श्रीवास्तव
अध्यक्ष

डा० अंकित गंगवार
प्रभारी

डा० अमित उपाध्याय
सदस्य

डा० अभिषेक शुक्ला
सदस्य

डा० माधुरी सिंह
सदस्य

डा० प्रतिभा त्रिपाठी
सदस्य

डा० सौम्या सिंह
सदस्य

डा० पायल सिंह
सदस्य

डा० संजय कुमार सिंह
सदस्य

प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ0प्र0 228001

एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आये छात्र/छात्राओं द्वारा जमा मूल प्रमाण पत्र एवं प्रपत्रों का विवरण

अनुक्रमक: नीट यू0जी0 :- नीट-2025-26 रैंक.....

छात्र/छात्रा का नाम :-.....माँ का नाम :-.....

पिता का नाम :-.....

प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख का विवरण (कर्मांक, रोल नं0 एवं वर्ष सहित)

- 1 - हाई स्कूल अंक तालिका :-.....
- 2 - हाई स्कूल प्रमाण पत्र :-.....
- 3 - इण्टरमीडिएट अंक तालिका :-.....
- 4 - इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र :-.....
- 5 -बी0एस0सी0 की अंकतालिका :-.....
- इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांक :-.....

SUBJECT	PHY.	CHEM.	BIO.	Total	ENG.	NEET
MAX MARKS						
OBTAINED MARKS						

- 6 - स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC) :-
- 7 - प्रवजन प्रमाण पत्र ;(Migration) :-.....
- 8 - चरित्र प्रमाण पत्र (Character) :-.....
- 9 - पिछले विद्यालय का परिचय -पत्र ;ID) :-.....
- 10- जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग)/उप श्रेणी :-
- 11- निवास प्रमाण - पत्र :-.....
- 12- पिता/अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र :-.....
- 13- नीट-2025-26 ओएमआर शीट में लगी चार फोटो:-.....
- 14- नीट-2025-26 का प्रवेश पत्र ;Admit Card) :-.....
- 15- नीट-2025-26 आवंटन पत्र ;Allotment Letter) :-.....
- 16- नीट-2025-26 की अंकतालिका ;Marksheet) :-.....
- 17- शिक्षा अन्तराल ;Gap) का शपथ पत्र :-.....
- 18- हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगाने का प्रमाण पत्र:-.....
- 19- अन्य :-.....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

.....
सदस्य प्रवेश समिति

.....
प्रभारी अधिकारी छात्रानुभाग

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ0प्र0 228001

एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आये छात्र/छात्राओं का विवरण

वर्ष 2025-26

- 1— छात्र/छात्रा का नाम :-
- 2— पिता/अभिभावक का नाम :-
- 3— व्यवसाय व मासिक आय (पिता/अभिभावक):-
- 4— जन्म तिथि :-
- 5— जाति / धर्म :-
- 6— उत्तर प्रवेश में अधिवास की अवधि :-
- 7— एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश का दिनांक :-
- 8— स्थायी पता एवं मोबाइल नं0 :-
- 9— पत्र व्यवहार का पता एवं मो0 नं0 :-
- 10— छात्र का मोबाइल नं0 :-
- 11— माता-पिता/अभिभावक का मोबाइल नं0 :-
- 12— पूर्व प्रवेशित मेडिकल कॉलेज का नाम एवं प्रवेश तिथि :-
- 13— पूर्व में यदि कोई छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता :- प्राप्त हुई हो तो उल्लेख करें।

माता/पिता का फोटो

छात्र का फोटो

(हस्ताक्षर पिता/अभिभावक)

नाम —

(हस्ताक्षर छात्र)

नाम—

OFFICE OF THE PRINCIPAL, A.S.M.C. SULTANPUR,U.P.-228001

Thumb Impression Verification Sheet

_____Counselling_____

Sr. No	Rank	Name	Date	Category	L.T.I./ R.T.I.

डा0 सलिल कुमार श्रीवास्तव
अध्यक्ष

डा0 अंकित गंगवार
प्रभारी

डा0 अमित उपाध्याय
सदस्य

डा0 अभिषेक शुक्ला
सदस्य

डा0 माधुरी सिंह
सदस्य

डा0 प्रतिभा त्रिपाठी
सदस्य

डा0 सौम्या सिंह
सदस्य

डा0 पायल सिंह
सदस्य

डा0 संजय कुमार सिंह
सदस्य

प्रधानाचार्य

OFFICE OF THE PRINCIPAL, A.S.M.C. SULTANPUR,U.P.-228001**Reporting List of MBBS Student**

Counselling _____

Sr.No	Rank	Roll No.	Name	Date	Signature

S/I Student Section
A.S.M.C., SULTANPUR,U.P.

Undertaking

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सुल्तानपुर।

दिनांक:.....

महोदय,

मैंपुत्र/पुत्री..... अनुक्रमांक

.....आज आपके कालेज में प्रवेश लेने हेतु प्रस्तुत हुआ/हुई हूँ किन्तु मैं निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में पूर्व कॉलेज में जमा होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा/रही हूँ। मैं निम्न प्रमाणपत्र 07 दिन के अन्दर जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ होता/होती हूँ तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

प्रमाण पत्र :-

- | | |
|---------|---------|
| 1-..... | 2-..... |
| 3-..... | 4-..... |
| 5-..... | 6-..... |
| 7-..... | 8-..... |

हस्ताक्षर माता/पिता
माता/पिता का नाम

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा
छात्र/छात्रा का नाम

Undertaking

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सुल्तानपुर।

दिनांक:.....

महोदय,

मैंपुत्र/पुत्री..... अनुक्रमांक

.....आज आपके कालेज में प्रवेश लेने हेतु प्रस्तुत हुआ/हुई हूँ किन्तु मैं निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में पूर्व कॉलेज में जमा होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा/रही हूँ। मैं निम्न प्रमाणपत्र 07 दिन के अन्दर जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ होता/होती हूँ तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

प्रमाण पत्र :-

- | | |
|---------|---------|
| 1-..... | 2-..... |
| 3-..... | 4-..... |
| 5-..... | 6-..... |
| 7-..... | 8-..... |

हस्ताक्षर माता/पिता
माता/पिता का नाम

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा
छात्र/छात्रा का नाम

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ0प्र0 228001

पत्रांक: ए0एस0एम0सी0 / सुल्तानपुर / 2025 /

दिनांक: / / 2025

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि श्री/कु0.....

पुत्र/पुत्र रोल नं0

ए0आई0/स्टेट रैंक.....कैटेगिरी रैंक.....नीट यू0जी0-2025-26 द्वारा

चयनित होकर एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष में प्रवेशित हुये हैं। इनके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा हैं।

यदिकी काउन्सिलिंग में इनका चयन अन्य किसी मेडिकल कालेज में हो जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सुल्तानपुर।

कार्यालय: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर-228001

पत्रांक:ASMC/SULTANPUR/MBBS Neet UG-2025/

दिनांक:.....

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ कु.....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....
.....नीट यू0जी0-2025 का रोल न0.....आल इण्डिया/स्टेट कोटा रैंक.....
.....कैटेगरी..... का प्रवेश यू0पी0 नीट यू0जी0-2025 की
काउंसिलिंग के माध्यम से शैक्षणिक प्रमाण-पत्र मूल रूप में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालया में जमा करा लिया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

1. नीट यू0जी0-2025 एलाटमेट लेटर।
2. नीट यू0जी0-2025 एडमिट कार्ड।
3. नीट यू0जी0-2025 स्कोर कार्ड।
4. नीट यू0जी0-2025 डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र।
5. हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
6. इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
7. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट।
8. चरित्र प्रमाण-पत्र।
9. कैटेगरी प्रमाण-पत्र (ई0डब्लू0एस0/जनरल/ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0)।
10. डी0डी0 संख्या/UPI.....बैंक का नाम.....
धनराशि.....दिनांक.....
11. विकलांगता प्रमाण-पत्र

अतः यह प्रमाण पत्र इनके प्रार्थना पत्र दिनांक.....को नीट यू0जी0-2025 के
..... चरण के काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अनुरोध पर निर्गत किया जा रहा है।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुल्तानपुर।

कार्यालय: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर-228001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ कु

पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....नीट यू0जी0-2025 का रोल न0..... ऑल इण्डिया कोटा/स्टेट कोटा रैंक..... कैटगरी का प्रवेश यू0पी0 नीट यू0जी0-2025 की प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से मूल शैक्षणिक अभिलेख रूप में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

1. नीट यू0जी0-2024 एडमिट कार्ड।
2. नीट यू0जी0-2024 स्कोर कार्ड।
3. हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
5. माइग्रेशन सर्टिफिकेट।
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
7. चरित्र प्रमाण-पत्र।
8. कैटेगरी प्रमाण-पत्र
9. विकलांगता प्रमाण-पत्र

कार्यालय: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर-228001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पुत्र..... नीट यू0जी0-2025 का रोल न0.....स्टेट कोटा रैंक कैटगरी का प्रवेश यू0पी0 नीट यू0जी0-2025 की प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से मूल शैक्षणिक अभिलेख रूप में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

1. नीट यू0जी0-2025 एडमिट कार्ड।
2. नीट यू0जी0-2025 स्कोर कार्ड।
3. हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
5. माइग्रेशन सर्टिफिकेट।
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
7. चरित्र प्रमाण-पत्र।
8. कैटेगरी प्रमाण-पत्र
9. विकलांगता प्रमाण-पत्र

छात्रावास, में रहने के लिये प्रार्थना पत्र ।

सेवा में,
प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सुल्तानपुर।

छात्र/छात्रा
का फोटो

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में वर्ष-2025-26 का छात्र/छात्रा है। प्रार्थी छात्रावास में रहने का इक्षुक है। मैं छात्रावास सम्बन्धी सभी नियमों का पूर्ण रुपेण पालन करूंगा। ए0सी0,फ्रिज,वाशिंग मशीन माइक्रोवेव आदि जैसे किसी विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करुंगा/करुंगी यदि मैं उपयोग करता हुआ पाया गया तो कालेज प्रशासन द्वारा निर्धारित दण्ड मुझे स्वीकार होगा। कृपया अनुमति प्रदान करने की कष्ट करें।

मोबाइल नं०

आपका विश्वास पात्र

ह०/—

नाम.....

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सुल्तानपुर

स्थायी पता.....

.....

छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति कमरा दिया/नहीं दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....

अधीक्षक/अधीक्षिका छात्रावास मोहर

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ०प्र० 228001

आदेश

संख्या:

दिनांक.....

अधीक्षक.....छात्रावास।

श्री/कु०.....बैच-2025-26 को एक कमरा छात्रावास में दें और रसीद देख कर उसकी आख्या लिख दें।

प्रधानाचार्य।

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ०प्र० 228001

कार्यालय अधीक्षक..... स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर।

संख्या:

दिनांक.....

आपके आदेशानुसार श्री/कु०..... बैच-2025-26 को इस छात्रावास के कक्ष संख्या.....
..... आवंटित कर दिया गया है और उन्होने उसमें रहना शुरू कर दिया है।

अधीक्षक/अधीक्षिका छात्रावास

मोहर:-

अभ्यर्थी का शपथ पत्र

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र)

समक्ष स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ0प्र0 228001

- 1—मैं.....पुत्र/पुत्री.....बैच—2025—26 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर का छात्र हूँ। मैंने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम—2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा ध्यान से पढ़ लिया है।
- 2—मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ एवं समझ लिया है, और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
- 3—मैंने धारा 7 तथा धारा 8.1 विनियम को समझ लिया है अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में संलिप्त पाया जाता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
- 4—मैं निश्चित ही यह प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि —
क—मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है, में संलिप्त नहीं रहूँगा/रहूँगी।
ख—मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं रहूँगा/रहूँगी जो रैगिंग की धारा 3 विनियम के अन्तर्गत आती हो।
ग— मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में संलिप्त नहीं रहूँगा/रहूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।
- 5—मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम 8.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 6—मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध दोष की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और यदि ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- दिनांक

शपथी के हस्ताक्षर

नाम:-
पता:-
स्टेट रैंक:-
मो0 नं0:-

सत्यापन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में धारा 1 से 6 तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी भी तरह के तथ्य को नहीं छिपाया गया और न ही गलत बयान दिया गया है।

शपथी के हस्ताक्षर.

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थित में शपथ पत्र में दिनांक..... को दिये गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र)

समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ0प्र0 228001

1- श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पत्नी
 निवासी.....का पुत्र/पुत्री
 एन0ई0ई0टी0-2025-26 रोल नंम्बर..... ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर में
 प्रवेश लिया है।

मैंने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम-2009 में उल्लिखित प्रावधानों को भली भाँति ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया है।

2- मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ एवं समझ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।

3- मैंने धारा 7 तथा धारा 8.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में संलग्न पाया जाता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4- मैं शपथ पूर्वक यह सुनिश्चित करता हूँ कि :-

क- मेरा पुत्र/पुत्री किसी तरह के रैगिंग, जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है, में शामिल नहीं होगा।

ख- मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।

5- मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 8.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गति - विधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और मेरे पुत्र पुत्री को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

शपथी के हस्ताक्षर

नाम

पता.....

.....

दूरभाष नं0.....

सत्यापन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया गया न ही गलत बयान दिया गया है।

शपथी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थित में शपथ पत्र में दिनांक..... को दिये गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त.

शपथ पत्र

(10 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र)

समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर।

एतद्वारा मैं.....पुत्र/पुत्री
 एन0ई0ई0टी0-2025-26 रोल नं0.....निवासी.....
 शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर में एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश लेने हेतु मुझे निम्नलिखित सभी शर्तें व नियम स्वीकार हैं। इनमें से यदि किसी शर्त या नियम का पालन करने में असमर्थ रहा/रही तो मेरा प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इसके लिये मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं करूँगा/करूँगी तथा न ही किसी अदालत का सहारा लूँगा/लूँगी और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव डलवाने की कोशिश करूँगा/करूँगी।

1-मैं साधारणतः छात्र जीवन व्यतीत करते हुए पूर्ण रूप से अनुशासित रहकर अध्ययन करूँगा/करूँगी, कालेज एवं विश्वविद्यालय के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

2- मैं किसी प्रकार की राजनैतिक प्रक्रिया, किसी प्रकार की अवैधानिक हड़ताल आदि में प्रतिभाग नहीं करूँगी/करूँगा।

3-मैं अपने शिक्षकों, सम्बंधित कर्मचारियों तथा कालेज के अन्य व्यक्तियों, तथा साथियों से सदैव सद्भावना का व्यवहार करूँगा/करूँगी।

4-कालेज परिसर में अथवा छात्रावास में रहते हुए किसी प्रकार का असंगत वातावरण नहीं बनाऊँगा, तथा पूर्ण नशाबन्दी व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विश्वास रखूँगा।

5-मैंने अपनी इन्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष.....में उत्तीर्ण की है इसके पश्चात् वर्ष से.....तक.....अध्ययन किया है/अध्ययन नहीं किया है।

6-मैं वर्तमान में किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत नहीं हूँ। यदि यह पाया जाये कि मैं किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के अन्य किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हूँ तो मेरा एम0बी0बी0एस0 2025 में प्रवेश निरस्त कर दिया जाये।

7-पिछले वर्ष की एन0ई0ई0टी0 से सम्बन्धित मेरे द्वारा कोई याचिका लम्बित नहीं है।

8-मैंने हिपेटाइटिस बी वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगवा लिया है जिसका प्रमाण पत्र जमा कर रहा/रही हूँ/मैंने उक्त इंजेक्शन नहीं लगवाया है। मैं इंजेक्शन लगवा रहा हूँ तथा अन्य दो डोज में निर्धारित समय पर अवश्य लगवा लूँगा/लूँगी।

9-एन0ई0ई0टी0-2025-26 के सन्दर्भ में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/विवरण/जमा किये गये प्रमाण-पत्र व अन्य घोषणायें यदि असत्य पाई जाये तो मुझे दोषी मानते हुए मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र की धारा 01 से 09 तक मेरे जातीय इल्म से सत्य एवं वास्तविक है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसकी तसदीक आज दिनांक:को की गयी।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र के हस्ताक्षर

विनियम 2009—पैरा 3. (रैगिंग का अर्थ)—

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे:—

- (क)-किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
- (ख)-छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट आक्रोश, कठिनाई शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- (ग)-किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- (घ)-वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
- (ङ)-नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु वाध्य कर शोषण करना।
- (च)-नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- (छ)-शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण समलैंगिक प्रहार, नंगा करना अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- (ज)-मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ईमेल, डाक पब्लिकली किसी को अपमानित करना किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना, जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- (झ)-कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना

धारा 7 :-रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं

- 1-रैगिंग हेतु उकसाना 2- रैगिंग का आपराधिक षड़यंत्र
3-रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
4-रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
5-रैगिंग के द्वारा श्लीनता और नैतिकता भंग करना 6- शरीर को चोट पहुँचाना
7-गलत ढंग से रोकना 8- आपराधिक बल प्रयोग
9-प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध 10- बलात ग्रहण
11- आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
11-सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध 12-आपराधिक धमकी
13-मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
14-उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
15-शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
16-रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध

धारा 8.1 :-रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही :-

किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जायेगा।

- 1-रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।
2-रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

- कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।
 - छात्रवृत्ति/छात्र. अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/बर्चित करना।
 - किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
 - परीक्षाफल रोकना।
 - किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
 - प्रवेश रद्द करना — संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना
- संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

.....COURSE..... SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT

_____ ON THIS DAY OF _____

BETWEEN

NAME: _____

S/O, D/O, W/O _____

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS): _____

(TEMPORARY ADDRESS): _____

MOBILE NO: _____

E-mail ID: _____

AADHAR NO. _____

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to _____
_____ course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than Two year after successful completion of the _____
_____ course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of **Two year** the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of **Rs.10 Lacs** for degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the _____ course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND

WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the _____ course his/her certificates relating to _____ course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of Two year or pay to the Government on demand the sum of Rs. _____ (Rupees _____) only.

if the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY _____ employed as _____ granted stipend _____ to him/her for a period of 24 months with effect from _____ in order to enable his/her to study at _____ college AND WHERE AS if the FIRST PARTY _____ works for a period of less than 24 months during the _____ Super specialty course DM/MCH/ _____ Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS Course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY shall pay back in addition to the security amount of Rs. _____ (Rupees _____ only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS:-

- 1- The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of Two year on successful completion of the _____ Super specialty course DM/MCH/ _____ Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of Two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. _____ (Rupees _____ Only) to the Government in the specified Government Treasury.
- 2- The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the period of Two year service to the Government or till the payment of Rs. _____ Rupees _____ only is paid the certificates relating to _____ Super specialty Course DM/MCH _____ Post Graduate Degree MD/MS/ Diploma MDS Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned

Institution/University/College and the Government has a first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.

- 3- The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared discharged.
- 4- This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
- 5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
- 6- The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of

FIRST PARTY

()

For and behalf of

Governor

()

Witnesses:-

1-

2-

IMPORTANT NOTICE

- 1- Fee structure for various categories has been uploaded on website. Candidates are advised to **PAY FEES THROUGH UPI (Online)** in college campus only or by bring demand draft of any Nationalized Banks according to category Fees in favour of **“Prinicpal , Autonomous State Medical College, Sultanpur U.P 228001.”**
- 2- Check list for documents is also uploaded on website.
- 3- Candidates are advised to bring three sets of self attested photo copies of documents and originals documents according to the check list provided. (AADHAR/PAN. Domicile, cast certificate, in case of OBC certificate must be after 01/04/2025)
- 4- Bond will be applicable according as per U.P government Rules.